कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/14436/1897 दिनांकः–26.9.14

सेवा में,

Spl. Sec.

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत, वारसलीगंज के वर्ष 2010–11 से 12–13 तक के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 649/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

29/9/14
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

7608
20/10/14

183
6/11/14

नगर पंचायत, वारसलीगंज
अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 649/13–14
अंकेक्षण वर्ष– 2010–11 से 12–13

1. प्रस्तावना

नगर पंचायत, वारसलीगंज, जिला– नवादा की निधि की वित्तीय वर्ष 2010–11 से वर्ष 2012–13 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), सामाजिक प्रक्षेत्र–1, बिहार, पटना के लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 10.06.13 से दिनांक 15.06.13 अवधि में की गयी।

2. प्रशासन

क. मुख्य पार्षद

क्र0सं0	नाम	कार्यकाल
01.	श्री जगेश्वर चौधरी	01.04.10 से 16.04.12
02.	श्रीमती बेदामी देवी	17.04.12 से 31.03.13

ख. उपमुख्य पार्षद

क्र0सं0	नाम	कार्यकाल
01.	श्रीमती बेबी देवी	01.04.10 से 16.04.12
02.	श्रीमती पुष्पा देवी	17.04.12 से 31.03.13

ग. कार्यपालक पदाधिकारी

क्र0सं0	नाम	कार्यकाल
01.	श्री मुकुल कुमार	01.04.10 से 06.04.10
02.	श्री मनोजीत कुमार दास	07.04.10 से 28.04.10
03.	श्री यदुनंदन प्रसाद	29.04.10 से 31.03.13

3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराये गये एवं नमूना जॉच किये गये अभिलेखो की सूची लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट– I पर तथा असंधारित/अनुपलब्ध अभिलेखो की सूची परिशिष्ट– II पर दी गयी है।

4. सरकारी अनुदान

नगर पंचायत द्वारा अनुदान पंजी का संधारण नही किया गया था। इसकी अनुपलब्धता के कारण पूर्व का अवशेष, अनुदान प्राप्तियों के साथ इनका योग, अनुदानों में से किया गया कुल व्यय तथा दिनांक 31.03.13 को अवशेष, अनुदानों की स्थिति ज्ञात नही की जा सकी। फिर भी लेखापरीक्षा के क्रम में

रोकड़बही, आवंटन पंजी एवं उपलब्ध पत्रों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2012–13 की अवधि में प्राप्त अनुदानों की कुल राशि रू 4,03,62,996 था जिसका विवरण परिशिष्ट– III पर दिया गया है।

इस संबंध में नगर पंचायत द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

अनुदान पंजी का संधारण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

5. वित्तीय अधिदृश्य

नगर पंचायत, वारसलीगंज के लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान नगर पंचायत द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2012–13 के लेखापाल रोकड़ बही, सहायक रोकड बहियों के अनुसार वित्तीय अभिदृश्य निम्न प्रकार था–

क0सं0	विवरण	2010–11	2011–12	2012–13
1.	प्रारम्भिक शेष	95,39,063.95	83,27,793.95	1,91,35,465.45
2.	आय	44,11,135	1,63,55,232	2,17,45,190
3.	कुल	1,39,50,198.95	2,46,83,025.95	4,08,80,655.45
4.	व्यय	56,22,405	55,47,560.50	87,52,891
5.	अन्तशेष	83,27,793.95	1,91,35,465.45	3,21,27,764.45

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत ट्रेजरी पासबुक तथा बैंक पासबुकों के अनुसार 31.03.2013 को अवशेष राशियों का विवरण निम्न प्रकार है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट– IV दिया गया है। विस्तृत विवरण में दर्शाए गये अनुदानों की राशि में अनुदान के अलावा स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय भी शामिल है।

कम	विवरण	खाता सं0	31.03.13 को अवशेष
1	Treasury Passbook(E.O.Letter No 2231/04.06.13)	लेखापरीक्षा में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार	1,77,20,532
2	SBI,Warsaliganj,BRGF	31092711541	63,09,295
3	PNB,Warsaliganj,Kabir Antyesti	40658	827
4	-do-, 13th F.C	07899	1,64,945=50
5	-do-Accountant Cash Book	44919	28,172
6	SBI-do-	11796253103	56,91,705=33
7	-do-SJSRY	11796321629	66,028=62
8	UBI-d0-	624302010005119	30,18,082
		कुल	3,29,99,587.45

(10)

लेखापरीक्षा टिप्पणी

(i) रोकड बही के अन्तशेष रु0 3,21,27,764.45 तथा Treasury Passbook एवं बैंक पासबुकों के अन्तशेष रु0 3,29,99,587.45 के अन्तर रु0 8,71,823 का बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया था। Treasury Passbook लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसे अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय एवं बैंक समाधान विवरणी बनाकर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

(ii) लेखापाल रोकड बही में आय– व्यय का शीर्ष दर्ज नहीं था। इस कारण शीर्षवार आय–व्यय ज्ञात नहीं किया जा सका।

(iii) रोकड बही में कई स्थानों पर कार्यपालक अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं था।

(iv) लेखापाल रोकड बही का संधारण सही तरीके से नहीं किया गया था। किसी माह का अन्तशेष ही आगामी माह का प्रारम्भिक शेष होना चाहिए जबकि यहॉ इसके विपरीत बैंक पासबुक के अनुसार किसी माह का आरम्भिक शेष लिखा जाता है।

(v) विभिन्न वित्तीय वर्षों में उपलब्ध राशियों का उपयोग की स्थिति संतोषप्रद नहीं था।

कम	वित्तीय वर्ष	कुल प्राप्ति	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1.	2010–11	1,39,50,199	56,22,405	40%
2.	2011–12	2,46,83,025	55,47,560	22%
3.	2012–13	4,08,80,655	87,52,891	21%

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि उपरोक्त तीन वित्तीय वर्षों में उपलब्ध राशि का औसतन मात्र 28 प्रतिशत राशि का ही प्रयोग किया जा सका है। अनुदानों का प्रयोग नहीं किए जाने के कारण आम आदमी को मिलने वाले लाभ से वंचित रहना पडता है। अनुदानों का समुचित प्रयोग कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

6. कम जमा/नहीं जमा

नगर पंचायत, वारसलीगंज के वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2012–13 के लेखाओं के लेखापरीक्षा के कम में पाया गया कि विभिन्न कर संग्रहकर्ताओं द्वारा वसूली गई कर की राशि नगर पंचायत के कोष में जमा नहीं किया गया था। विवरण निम्नलिखित है–

कम	कर संग्रहकर्ता का नाम	रसीद का प्रकार	रसीद सं0	वसूली गई राशि	जमा	कम जमा	अभियुक्ति
1.	श्री अर्जुन शर्मा	गृहकर	301 से 400	80,222	61,189	19,033	
2.	वही	वही	1001 से 1100	21,538	–	21,538	
3.	श्री उदय कुमार	वही	2101 से 2200	38,268	–	38,268	14.06.13 को जमा
4.	वही	विविध	1 से 27	135	–	135	14.06.13 को जमा

5.	वही	गृहकर	475 से 500	9,111	—	9,111	
6.	श्री दिनेश सिंह	बस स्टैण्ड	5201 से 5300	1477.50	—	1477.50	
7.	वही	वही	5401 से 6800	21,400	—	21,400	
8.	वही	वही	6901 से 7500	9,690	—	9,690	
9.	वही	वही	7601 से 7817	3,390	—	3,390	
			कुल	1,85,231	61,189	1,24,042	38,403

कुल कम जमा राशि रु0 1,24,042 में से मात्र रु0 38,403 लेखापरीक्षा के दौरान जमा किया गया शेष कम जमा राशि रु0 85,639 की वसूली संबंधित एवं जिम्मेवार व्यक्तियों से कर नगर पंचायत के खाते में जमा कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

7. बंदोबस्ती धारकों से 3 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी की राशि की वसूली नहीं

नगर पंचायत, वारसलीगंज के लेखाओं की लेखापरीक्षा के अंतर्गत बंदोबस्ती संचिका के नमूना जॉच में पाया गया कि वर्ष 10–11 से 12–13 की बंदोबस्ती में 3 प्रतिशत स्टैम्प ड्यूटी की वसूली नहीं की गई थी।

प्रधान सचिव, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक सं0– 1920 दिनांक 14.08.02 एवं सचिव– सह– महानिरीक्षक निबंधन के पत्रांक 549 दिनांक 15.03.2005 के अनुसार सफल डाकवक्ता से तीन प्रतिशत मुद्रांक शुल्क मुद्रांक के रूप में वसूलकर उस पर एकरारनामा किया जाएगा। परन्तु सफल डाकवक्ता से 3 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी की वसुली नहीं की गई थी। विवरण निम्न प्रकार है–

क्र0सं0	बंदोबस्ती की गई परिसम्पति का नाम	बंदोबस्तीधारक का नाम	बंदोबस्ती वर्ष	बंदोवस्ती रकम	3 प्रतिशत स्टैम्प फीस
01.	रिक्शा, टमटम, टायर गाड़ी	श्री राम प्रवेश सिंह	10—11	54,100	1623
02.	मरम्मती वाहन, टमटम, रिक्शा	श्री राम प्रवेश सिंह	11—12	40051	1202
03.	सी0 डी0 टमटम	श्री अशोक कुमार	12—13	1,27,000	3810
				कुल	6,635

स्टाम्प ड्यूटी की कटौती नहीं करने से बन्दोवस्तीधारक से 6635.00 की कम वसूली की गई तथा सरकार 6635.00 की राजस्व से वंचित रहा। अतः 6635.00 की वसूली संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय।

8. रसीदों का प्रस्तुत नहीं किया जाना

नगर पंचायत, वारसलीगंज के वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2012–13 के लेखाओं के लेखापरीक्षा के कम में निम्नलिखित रसीदों को लेखपरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण उनकी आवश्यक जॉच नहीं किया जा सका।

कम	किसे निर्गत किया गया	रसीद का प्रकार	रसीद सं0	निर्गत तिथि
1.	श्री राजेन्द्र प्र0 सिंह	विविध	501 से 600	20.03.10
2.	वही	वही	901 से 1000	28.08.10
3.	श्री दिनेश सिंह	वही	5301 से 5400	20.12.10
4.	वही	वही	6801 से 6900	18.02.10
5.	वही	वही	7501 से 7600	27.04.11
6.	श्री मिथिलेश कुमार	बजार चुंगी	1 से 300	अनुपलब्ध
7.	वही	वही	401 से 1000	वही
8.	वही	वही	1901 से 2000	वही

उपरोक्त रसीदों को आगामी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय जिससे कि उनकी आवश्यक जॉच किया जा सके।

9. शिक्षा सेस एवं स्वास्थ्य सेस की राशि सरकारी कोष में प्रेषित नहीं

नगर पंचायत, वारसलीगंज के रोकड़ बही, गृहकर रसीद तथा दैनिक संग्रह पंजी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2012–13 की अवधि में रु0 99,837.74 तथा रु0 99,837.74 कमशः शिक्षा सेस एवं स्वास्थ्य सेस के रुप में वसूला गया था। विस्तृत विवरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट– V पर दिया गया है। बिहार प्राथमिक शिक्षा उपकर अधिनियम, 1959 तथा स्वास्थ्य उपकर नियमावली, 1972 के अनुसार वसूली गई राशि में से 10 प्रतिशत वसूली खर्च रखकर शेष राशि राज्य सरकार के सम्बन्धित शीर्ष में जमा कर दिया जाना है। इस प्रकार वसूली गई तथा जमा की जानेवाली राशि का विवरण निम्न प्रकार है–

कुल वसूली– 1,99,675.48

वसूली खर्च– (–)19,968.48

1,79,707

शेष राशि रु0 1,79,707 सरकार के सम्बन्धित शीर्ष में प्रेषित कर अगले लेखापरीक्षा को दिखाया जाय।

197

10. क्षतिपूर्ति राशि की कटौती नहीं

ठेके की शर्तों के क्लाउज–2 के अनुसार संवेदक प्राक्कलित राशि का ½ प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अधिकतम प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करेगा (दिवस की गणना नियत अवधि के पश्चात) यदि कार्य उनके द्वारा निर्धारित अवधि में पूर्ण नही किया जाता है।

पुनः क्लाउज 12 ए के अनुसार संवेदक तब तक क्षतिपूर्ति के लिए दावेदार नही होगा या दावा नहीं कर सकता जब तक अपरिहार्य परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं हो जैसे कि प्राकृतिक आपदा, दुश्मन का हमला, बाधित आवागमन, स्थिति सरकार के नियंत्रण से बाहर इत्यादि हो। पुनः क्लाउज 5 के अनुसार संवेदक का आवेदन कार्य समाप्ति के निर्धारित अवधि के 40 दिन के भीतर प्राप्त होना चाहिए।

परन्तु नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त नियमों का पालन नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप संवेदक को कुल रू0 69,822 का अधिक भुगतान किया गया। जिसका विवरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट–VI पर दिया गया है।

अतः, क्षतिपूर्ति की कटौती नहीं करने हेतु जिम्मेवार व्यक्तियों से रू0 69,822 की वसूली कर नगर पंचायत कोष में जमा कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाए।

11. योजना सं0 13/10–11 के क्रिन्यावन में त्रुटियाँ/अनियमितताएँ

योजना का नाम – पानो राम के घर से प्रयाग साव के घर तक पी0सी0सी0 एवं नाली कार्य

संवेदक का नाम – श्री रूपेश कुमार

प्राक्कलित राशि – रू 1,16,300/–

मापी पुस्तिका के अनुसार कार्यमूल्य – रू 1,16,000/–

वास्तविक व्यय– रू 1,16,000/– (प्राक्कलन से 360 रू कम)

निधि– पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

कार्यादेश की तिथि– 19.10.2011

कार्यपूर्ण होने की निर्धारित अवधि– 3 माह

कार्यपूर्ण होने की वास्तविक तिथि – 03.02.2012

तकनीकी स्वीकृति– उपलब्ध नही

प्रशासनिक स्वीकृति– कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा

अंकेक्षण आपत्ति–

क. प्राक्कलन में वर्णित कार्यो का नहीं किया जाना–

मापीपुस्तिका एवं प्राक्कलन के अवलोकन के पश्चात पाया गया कि प्राक्कलन में वर्णित निम्नलिखित कार्यो का क्रियान्वयन संवदेक द्वारा नहीं किया गया था–

क्रम सं0	मदों का नाम	मात्रा व दर	राशि
01.	Cleaning of work site	5 no@114/-	570.00
02.	E/W in excavation	19.77 M^3@107/M^3	2115.00
03	Local sand filling	5.649 M^3@117.60/M^3	664.00
		टोटल	3349.00

इन कार्यो के क्रियान्वयन नहीं किये जाने के कारण एक तो कार्य की गुणवत्ता निम्नस्तरीय हो गयी तथा दूसरी ओर संवेदक को रू 2689 (3349– 300) का अधिक भुगतान किया गया।

ख. प्राक्कलन से अधिक कार्य का सम्पदान–

प्राक्कलन के अनुसार कुल 150 फीट की लम्बाई में नाला का निर्माण किया जाना था। परन्तु मापी पुस्तिका के अनुसार नाला का निमार्ण 191 फीट की लम्बाई में किया गया था जबकि नाला की चौड़ाई काफी कम कर दिया गया। विवरण इस प्रकार है–

प्राक्कलन के अनुसार–

Providing 100 a B/W IN cm(1:4)
Bed 1×150'×2'8"=99.75 cft
Wall 2×150'×10"x1'=250 cft
Total= 349.75 cft
9.90m3@3024.60/m3= 29,944/-

मापी पुस्तिका के अनुसार

Providing 100 a B/W IN cm(1:4)
Bed 191×10"×1'=158.53 cft
Wall 191×5"×1'=80.22 cft
Total= 238.75 cft

or ,6.76 m3@3024.60/m3 rupees 20,450/-

एवं तदनुसार पनिंग पर भी रू 3798/– व्यय किया गया। प्राक्कलन के अनुसार काम नहीं किए जाने के कारण नाला निर्माण की योजना की गुणवत्ता निम्नस्तरीय हो गयी तथा उद्देश्य की पूर्ति भी विफल रही।

ग. तकनीकी स्वीकृति एवं प्राक्कलन अप्राप्त

संचिका में प्राक्कलन की छायाप्रति संलग्न था जिसपर तकनीकी स्वीकृति का जिक्र नहीं किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में नगर पंचायत द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। अधिक भुगतान की राशि रू0 2689 वसूली संबंधित एवं जिम्मेवार व्यक्तियों से कर नगर पंचायत के खाते में जमा कर अगले लेखापरीक्षा में

दिखाया जाय। वास्तविक प्राक्कलन तथा तकनीकी स्वीकृति अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय तबतक व्यय की राशि रु0 1,16,000 लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

12. योजना सं0 15/10–11 के क्रियान्वयन में त्रुटियाँ

योजना का नाम–अशोक चौधरी से लखन चौधरी तक पी0सी0सी0 कार्य(बी0आर0जी0एफ0)

संवदेक का नाम – श्री शंभु प्रसाद

प्राक्कलित राशि– रू 93000/–

वास्तविक व्यय– रू 93000/–

कार्यादेष की तिथि– 18.10.2011

कार्य की समाप्ति की तिथि– 31.10.2012

कार्य पूरा होने की नियत अवधि– 3 माह

अंकेक्षण टिप्पणी

क. प्राक्कलन में वर्णित कार्यों के अलावा कार्य किया जानाः

मापी पुस्तिका के अवलोकन के पश्चात यह पाया गया कि द्वितीय एवं अंतिम विपत्र एवं मापी के अनुसार संवेदक द्वारा नाली के उपर पी0सी0सी0 स्लैब का निर्माण कार्य का निष्पादन किया गया था तथा उस कार्य पर कुल रू 3896/– व्यय दिखाया गया था जबकि प्राक्कलन में उक्त कार्य का उल्लेख ही नहीं था।

ख. प्राक्कलन की मदों मे विचलन

प्राक्कलन के अनुसार कुल 250 फीट की लम्बाई में पी0सी0सी0 कार्य किया जाना था जिसके लिए रू0 79,500.00 का प्रावधान किया गया था। परन्तु मापी पुस्तिका के अनुसार कुल 336'2" की लम्बाई में पी. सी.सी कार्य किया गया था तथा चौड़ाई 8' की जगह 7'9" से लेकर 3' तक कर दिया गया था जिसका विवरण इस प्रकार है–

22'0"×5'4"+6'0"/2×6	62.31 cft
21'0"×7'9"×6"	81.37 cft
8'0"×6'9"+4'8"/2×5	18.04 cft
14'0"×6'4"+3'9"/2×5"	28.92 cft
9'0"×3'6"×6"	15.75 cft
34'0"×5'6"×6"	93.50 cft
5'0"×4'0"×6"	10.00 cft
35'0"×4'6"+5'0"/2×6"	83.12 cft
6'2"×3'0"×6"	9.24 cft
35'0"×5'6"+5'8"/2×6"	97.65 cft

9'0"×7'0"×6"	31.5 cft
51'0"×3'6"×6"	89.25 cft
48'0"×5'0"+7'3"/2×6"	147.00 cft
39'0"×7'6"+7'3"/2×6"+5"/2	131.82 cft
Total – 336'2"	898.46 cft

=25.47m3@2809m3= 71,545/- प्राक्कलन के अनुसार 250'×8'×6"= 1200cft=39.97m3=rupees 79,500/-

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि कार्य की लम्बाई एवं चौड़ाई में विचलन कर कार्य सम्पन्न किया गया जो लम्बाई में 34 प्रतिशत विचलन को दर्शाता है। इसके लिए कोई भी संशोधित प्राक्कलन /Deviation at site account नहीं बनाया गया था। अतः लेखापरीक्षा में उक्त विचलन मान्य नहीं है। सक्षम पदाधिकारी को 250' की लम्बाई को ही मानते हुए भुगतान किया जाना चाहिए था। इस प्रकार संवेदक को रू 18,313 का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

विवरण–

अधिक लम्बाई = 336'2"– 250' = 86'2"

86'2" का कार्य मूल्य =71545×86/336=18313/–

पुनः पी.सी.सी कार्य निर्धारित मात्रा से कम किया गया था।

ग. विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं–

ठेके की शर्तों के क्लाउज 2 के अनुसार नियत समय पर कार्य पूर्ण नही होने की स्थिति में क्षतिपूर्त्ति राशि के रूप में संवेदक से 1/2 प्रतिशत (प्राक्कलित राशि का) प्रतिदिन की दर से अधिकतम 10 प्रतिशत कटौती की जाएगी। योजना निर्धारित अवधि के काफी बाद (लगभग 9 महिने बाद) पूर्ण किया गया था परन्तु क्षतिपूर्त्ति राशि रू 9300/– (93000× 10 प्रतिशत) की कटौती नहीं की गई थी जिसके कारण संवेदक को रू 9300/– का अधिक भुगतान किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में नगर पंचायत द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

अधिक भुगतान की राशि रु0 31,509 (3896+ 18,313+ 9300) वसूली संबंधित एवं जिम्मेवार व्यक्तियों से कर नगर पंचायत के खाते में जमा कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

13. मदों में प्राक्कलन से अधिक व्यय रु0

योजना सं0 – 18/09–10(बी0आर0जी0एफ0)

योजना का नाम – संगत पर पी0सी0सी0 कार्य

प्राक्कलित राशि – रू0 92,000

संवेदक को भुगतान – रू0 80,419 (कर सहित)

संवेदक – श्री शंभु प्रसाद

९३

मद	प्रा0राशि के अनुसार	मापी पुस्तक के अनुसार	अंतर	प्रतिशत
Providing cost of	16.72m2@74.55m2 =1246	34.71@74.55m2=2588	2076	167%
centring and shuttering	1246	9.85@74.55m2=734 (2588+ 734)=3322		

लेखापरीक्षा अभियुक्ति

उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन के मद के विवरण अनुसार प्राक्कलन से रू 2076 अधिक खर्च किया गया था। जबकि 100A Brick On Edge Soling मद पर प्राक्कलन से काफी कम काम कराया गया था। उक्त के सम्बन्ध में नगर पंचायत द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

अतः अधिक भुगतान की राशि रु0 2076 की वसूली संबंधित एवं जिम्मेवार व्यक्तियों से कर नगर पंचायत के खाते में जमा कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

14. प्राक्कलन के अनुसार कार्य का नहीं किया जाना।

योजना सं0 –18/10–11(पि0क्षे0अ0नि0)

योजना का नाम – पप्पु दास के धर से लेकर आहर तक नाली निर्माण एवं ईंट सोलिंग कार्य।

संवेदक का नाम – श्री शम्भु कुमार मुन्ना

प्राक्कलित राशि – रू 1,23,200/–

मापी की राशि – रू 1,23,586/–

भुगतान – रू 1,07,210/– (प्राक्कलन पर)

नाली निर्माण की प्राक्कलन एवं मापी की तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित है–

Sl	Item. No	Particulars	M.B.Page	Provision in Estimate	Booked in M.B	Excess	Percentage
1.	1.	Sand Filling	1.	886	1009	123	14%
2.	2.	100A B/W	2.	39,334	53,112	13,778	35%
3.	3.	12MM CP	2.	7656	8940	1284	17%
					Total	15,457	

अंकेक्षण टिप्पणी

नाला निर्माण में प्राक्कलन से अद्यिक व्यय दर्ज कर संवेदक को भुगतान किया गया है। अतः अधिक भुगतान की राशि रु0 15,185 की वसूली संबंधित एवं जिम्मेवार व्यक्तियों से कर नगर पंचायत के खाते में जमा कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

15. सक्शन मशीन का क्रय

नगर पंचायत, वारसलीगंज के लेखाओं के नमूना जॉच के क्रम में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा एक अद्द सक्शन मशीन का क्रय तेरहवीं वित की राशि से दिनांक 25.07.12 को KAAM-AVIDA, ENVIRO ENGINEERS PVT. LTD, PUNE से रु0 6,43,823 में किया गया था।

सक्शन मशीन के लागबुक का संधारण नहीं किया गया था। मौखिक रुप से बताया गया कि लेखापरीक्षा समापन तक (15.06.2013 तक) सक्शन मशीन का मात्र 1 बार प्रयोग किया गया था जिससे कुल रू 2000 की प्राप्ति हुई थी।

क्रय के 1 वर्ष बाद भी सक्शन मशीन का मात्र 1 बार प्रयोग किया जाना यह दर्शाता है कि क्रय हेतु उचित योजना नहीं तैयार किया गया।

अतः सुझाव दिया जाता है कि लोगों में सक्शन मशीन के उपयोग हेतु जागरूकता फैलाई जाय।

16. असमायोजित अग्रिम

नगर पंचायत, वारसलीगंज द्वारा अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किया गया था जिसके कारण अग्रिम की आरम्भिक शेष, वित्तीय वर्षों के दौरान दी गई एवं समायोजित अग्रिम तथा वर्ष के अन्त में अग्रिम की अन्तशेष की स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी।

फिर भी लेखापाल रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2012–13 की अवधि में रु0 4,38,030 का अग्रिम दिया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित है–

कम	प्राप्तकर्ता का नाम, पदनाम	राशि	चेक सं0/तिथि	अभियुक्ति
1.	श्री अर्जून शर्मा, टी0सी0	40,000	948344/12.10.10	ईलाज के लिए
2.	श्री मिथिलेश कुमार, एस0जे0	30,000	948348/18.10.10	सफाई कार्य
3.	वही	20,000	159832/04.04.12	व्ही
4.	वही	30,000	1598362/26.04.12	वही
5.	वही	15,000	159840/07.05.12	वही
6.	वही	30,000	159843/24.07.12	वही
7.	वही	30,000	159844/01.08.12	वही
8.	वही	50,000	159852/11.10.12	वही
9.	वही	15,000	159862/17.11.12	वही
10.	श्री उदय कुमार,टी0सी0	1,00,000	949435/05.05.11	डीजल अनुदान
11.	श्री राजेन्द्र प्र0 सिंह,प्र0 स0	20,000	159834/09.04.12	विविद्य
12.	वही	10,630	159841/22.05.12	चुनाव कार्य
13.	वही	5000	159860/03.11.12	विविद्य

14.	श्री जी0के0 पाडिया	10,000	159839/02.05.12	डीजल
15.	एस0एम0एस0,वारसलीगंज	22,400	159848/31.08.12	डीजल अनुदान
16.	श्री दिनेश सिंह	5000	159861/03.11.12	एंटी मलेरिया ऑयल
17.	वही	5000	159868/19.01.13	टलाव
	कुल	4,38,030		

असमायोजित अग्रिम का समायोजन या वसूली कर तथा अग्रिम पंजी का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाए।

17. कार्यपालक से वार्तालाप

कार्यपालक अधिकारी से समय समय पर मुख्य बिन्दुओं पर वार्तालाप की गई।

18. लेखापरीक्षा का परिणाम (परिशिष्ट– VII)

क. लेखापरीक्षा के दौरान वसूल की गई राशि– रु0 38403.00

ख. वसूली हेतु सूझाई गई राशि– रु0 213555.00

ग. लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखी गई राशि– रु0 116000.00

19. सामान्य अभियुक्ति

नगर पंचायत, वारसलीगंज द्वारा कई महत्वपूर्ण अभिलेखों को संधारित नहीं किया गया था, जैसे– अनुदान पंजी, लॉगबुक, सम्पति पंजी, मॉग एवं वसूली पंजी, इत्यादि। नगर पंचायत द्वारा योजनाओं से संबंधित राशियों को लम्बे समय तक रोक कर रखा जाता है। योजनाओं के कार्यान्वयन में निर्धारित समय का अनुपालन नहीं करने वाले संवेदकों पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। संग्रह की गई कर की राशि संग्रहकर्ताओं द्वारा लम्बे समय तक अपने पास रखा जाता, जिसे अविलम्ब रोका जाय।

–हस्ता0–

संजीव नयन

(स0ले0प0अधि0)

–अनुमोदित–

उपमहालेखाकार (एस0एस0–I)

—सह—

स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार

संo– एलoएo/एसoएसo–1/शoस्थाoनिo   दिनांक

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, वारसलिगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवदेन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जबाबदेही का दावा नही करता है।

– ह० –
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शoस्थाoनिo/सोशल सेक्टर –1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

संo– एलoएo/एसoएसo–1/शoस्थाoनिo/14436/1897   दिनांक 26.9.14

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, नवादा

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शoस्थाoनिo/सोशल सेक्टर –1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

(89)

नगर पंचायत, वारिसलीगंज, 2010–11 से 2012–13

परिशिष्ट–I, कंडिका 3 के आलोक में

लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों की सूचि

1. लेखापाल रोकड़ बही
2. रोकड़पाल रोकड़ बही एवं सहायक रोकड़ बहियॉ
3. बैंक पासबुक
4. रसीदों की भण्डार पंजी
5. योजना पंजी
6. अभिश्रव (आंशिक)
7. सैरात संचिकाएं
8. कय संचिका
9. योजना संचिकायें (आंशिक)
10. गृहकर एवं विविद्य रसीद
11. आवंटन पंजी

संजीव मयन

स0 ले0 प0 अ0

188

नगर पंचायत, वारिसलीगंज, 2010–11 से 2012–13

परिशिष्ट–II, कंडिका 3 के आलोक में

लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये/असंद्यारित अभिलेखों की सूचि

1. अनुदान पंजी
2. सैरात पंजी
3. ऋण पंजी
4. उपयोगिता प्रमाणपत्र
5. दूकानों से सम्बन्धित संचिकायें
6. सम्पति पंजी
7. पेंशन खाता
8. करों के पुनरीक्षण से सम्बन्धित संचिकायें
9. मॉग एवं वसूली पंजी (मकान कर, दूकान किराया, खतरनाक एवं भयावह)
10. अग्रिम पंजी
11. बिक्री योग्य प्रपत्र
12. सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत संचिकायें
13. भविष्य निद्यि खाता
14. जमा पंजी
15. वेतन निर्धारण पंजी
16. विनियोग पंजी
17. सूट रजिस्टर
18. भण्डार पंजी
19. म्यूटेशन खाता
20. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अनुपालन प्रतिवेदन
12. वार्षिक एवं त्रैमासिक लेखा
13. स्वीकृत एवं कार्यरत बल
14. बजट प्राक्कलन
15. कार्यवाही पुस्तिका
16. लॉगबुक
17. बकाया किरायों की सूची
18. अन्य अभिलेख जो परिशिष्ट–I,पर नहीं दिये गये हैं

संजीव नयन
स0 ले0 प0 अ0

वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान प्राप्त अनुदानों की विवरणी।

क्रम	निधि का नाम	विवरण	राशि (रु)
1.	2.	3.	4.
1.	पार्षद भत्ता	पत्रांक/UDHD/2031/17.04.10	78,000
2.	"	पत्रांक/UDHD/36/25.01.12	78,000
3.	"	पत्रांक/UDHD/26/20.09.12	78,000
4.	13वीं वित्त	पत्रांक/95/4713/17.08.10	12,00,000
5.	"	~~पत्रांक/[illegible]~~	
6.	"	पत्रांक/UDHD/15/23.08.11	1,67,000
7.	"	पत्रांक/UDHD/58/13.03.12	14,85,000
8.	"	पत्रांक/UDHD/02/04.04.12	9,62,000
9.	"	पत्रांक/UDHD/29/19.07.12	15,70,000
10.	"	पत्रांक/UDHD/36/31.08.12	5,00,000
11.	"	पत्रांक/2718/17.05.11	12,00,000
12.	अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क	~~पत्रांक/2718/17.05.11~~	~~12,00,000~~
13.	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	पत्रांक/786/15.03.11	11,91,460
14.	"	पत्रांक/60/19.03.12	34,03,329
15.	"	"	24,84,294
16.	"	पत्रांक/61/19.03.12	20,00,000
17.	"	—	22,84,086
18.	"	—	20,00,000
19.	जनगणना	—	14,71,067
20.	"	—	750
21.	"	—	3,13,908
22.	"	पत्रांक/731/26.03.13	3,84,000
23.	ई० गवर्नेंस	—	1300
		—	78,979
			[2,41,31,173]

22931173

2.	3.	b/d 4. [2,41,31,173]
24. मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना	चेक सं0/086686/30.08.10	1,50,000
25. नगर प्रबन्धक मानदेय	ड्राफ्ट सं0/708468/02.11.10	1,40,000
26. कबीर अंत्येष्टि	चेक सं0/384401/—	1,50,000
27. डीजल अनुदान	चेक सं0/151770/—	1,50,000
28. निर्वाचन	—	15,000
29. लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	~~48100~~ पत्रांक/1006/07.11.12	70,200
30. 〃	पत्रांक/1052/28.11.12	55,100
31. 〃	पत्रांक/1130/20.12.12	1,000
32. 〃	पत्रांक/1051/28.11.12	7,77,600
33. 〃	पत्रांक/2415/04.03.13	24,300
34. विकल नि:शक्तता पेंशन योजना	पत्रांक/1008/07.11.12	72,000
35. 〃	पत्रांक/1007/07.11.12	2,98,800
36. 〃	पत्रांक/1053/28.11.12	2,98,800
37. 〃	पत्रांक/1054/28.11.12	36,000
38. 〃	पत्रांक/50/12.03.13	27,600
39. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	पत्रांक/1009/07.11.12	3,29,400
40. 〃	पत्रांक/1011/07.11.12	7,59,600
41. 〃	पत्रांक/1012/07.11.12	4,65,000
42. 〃	पत्रांक/1013/07.11.12	18,000
43. 〃	पत्रांक/1014/07.11.12	43,200
44. 〃	पत्रांक/1010/07.11.12	70,200
45. 〃	पत्रांक/1047/28.11.12	1,64,700
46. 〃	पत्रांक/1048/28.11.12	35,100
47. 〃	पत्रांक/1049/28.11.12	21,600
48. 〃	पत्रांक/1050/28.11.12	9000
		[2,83,13,373]

27..3373

27113373

b/d [2,83,13,373]

	2.	3.	4.
49.	"	पत्रांक/1041/28.11.12	
50.	"		9,30,000
51.	"	पत्रांक/15/28.02.13	35,100
52.	"	पत्रांक/16/28.02.13	9000
53.	"	पत्रांक/26/04.03.13	7,47,000
54.	"	पत्रांक/17/28.02.13	21,600
55.	"	पत्रांक/94/28.02.13	1,35,900
56.	"	पत्रांक/38/16.02.13	4000
57.	[illegible]	पत्रांक/51/22.03.13	7,53,300
58.	कबीर अंत्येष्टि	——	3,23,842
59.	B.R.G.F	चेक/372130/15.03.12	2,19,000
60	"	——	~~6,54,822~~
61.	"	——	71,99,900
62.	"	——	26,08,331
63.	"	——	15,31,315
64.	SJSRY	——	9,45,982
65.	3rd S.F.C	——	30,00,000
			1,39,531
		4,03,62,996	~~4,15,62,996~~

AAO

परिशिष्ट – IV , कंडिका 5.

नगर पंचायत, वारिसलीगंज, 2010-11 से 2012-13.

आय-व्यय की विवरणी, 2010-11

क्रम	निधि का नाम	प्रारंभिक शेष	अनुदान	ब्याज	कुल प्राप्ति	व्यय	अंत शेष
1.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	39,05,036	18,54,722	47,161	58,06,919	25,14,484	32,92,435
2.	13 वीं वित्त आयोग	—	12,00,000	—	12,00,000	—	12,00,000
3.	पार्षद भत्ता	36,000	78,000	—	1,14,000	—	1,14,000
4.	कबीर अंत्येष्टि	1,20,000	—	—	1,20,000	1,20,000	—
5.	विधायक अनुशंसित पहाड़ी चापाकल	3,11,587	—	—	3,11,587	71,199	2,40,388
6.	12 वीं वित्त	6,52,299	—	—	6,52,299	3,34,245	3,18,054
7.	नाला निर्माण	3,76,517	—	—	3,76,517	62,343	3,14,174
8.	पथ निर्माण	6,01,712	—	—	6,01,712	23,353	5,78,359
9.	अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क	8,33,482	—	—	8,33,482	5,08,804	3,24,678
10.	तृतीय राज्य वित्त आयोग	62,100	1,39,531	—	2,01,631	—	2,01,631
11.	SJSRY	4,68,504=62	—	—	4,68,504=62	—	4,68,504=62
12.	लेखापाल रोकड़ बही	21,71,826=33	10,91,721*	—	32,63,547=33	19,87,977	12,75,570=33
		95,39,063=95	43,63,974	47,161	1,39,50,198=95	56,22,405	83,27,793=95

* स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना, नि: सशक्त पेंशन योजना, इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना एवं अन्य विविध प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

AAO